सं0: 1/47/2018–स्था0 तीन/122-24
भारत सरकार
केन्द्रीय जल आयोग

तीसरी मंजिल,सेवा भवन
रामकृष्ण पुरम,दिल्ली–110066.
दिनांक 15.2.2021.

सेवा में

वेतन एवं लेखा अधिकारी,
केन्द्रीय जल आयोग,
नई दिल्ली ।

महोदय

सामान्य वित्तीय नियमावली, 1963 के नियम 235 के अधीन श्री कान्ता राम, सहायक निदेशक, को उनके द्वारा छुट्ठी रियायत यात्रा ब्लाक वर्ष 2020-21 (ग्रह नगर) के दौरान New Delhi to Priyat Jon Pur (U.P.) दोनों ओर आने और जाने की यात्राओं के लिए रूपए 6000 /-(Rupees Six Thousands only). की अग्रिम अदायगी के लिए सक्षम अधिकारी की स्वीकृति एतद.द्वारा प्रेषित की जाती है। अग्रिम की यह राशि उस अनुमानित राशि के 9/10वें हिस्से तक सीमित है जिसकी प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा अधिकारी को दोनों ओर की यात्रा की लागत के लिए करनी होगी । इस अग्रिम का समायोजन अधिकारी के यात्रा भत्ते बिल से किया जाएगा।

परिवार के सदस्यों का ब्यौरा :

S.No.	Name	Relation	Age
1	Shri Kanta Ram	Self	59Years
2	Smt. Shanti Devi	Wife	54 Years

1. इनका मूल वेतन रू0 87400/-- प्रतिमाह है।
2. श्री श्री कान्ता राम,सहा0 निदे0 स्थायी है अतः इनसे जमानत लेना आवश्यक नही है।
उपरोक्त व्यय मुख्य शीर्ष 2701; 80; General; 80.001-D&A; 01.00.01 वेतन
(गैर योजना) वित्तीय वर्ष 2020–21 में समायोजित किया जाएगा।

भवदीया
15/02/2021
(सीमा जुनेजा)
अनुभाग अधिकारी

प्रति प्रेषित :–

1. अनुभाग अधिकारी, लेखा– एक अनुभाग, के0 ज0 आ0, नई दिल्ली । (दो प्रतियां पी0एफ0एम0एस0 सहित)
2. श्री श्री कान्ता राम, सहा0 निदे0,एफ0एफ0एम0 निदे0,के0ज0आ0 नई दिल्ली। अग्रिम लेने के 10 दिन तक की अवधि में यात्रा टिकट सं0 व पी0 एन0 आर0 सं0 लेखा–एक अनुभाग को प्रस्तुत करनी होगी। उनके द्वारा यात्रा भत्ता अग्रिम लेने के 65 दिन की अवधि में यात्रा आरंभ करनी होगी अन्यथा उनके द्वारा लिया गया अग्रिम एकमुष्त वापिस करना होगा। इसके अतिरिक्त यदि यह स्पष्ट हो जाये कि उनके परिवार के सदस्यों की वापसी यात्रा की अवधि 120 दिन से अधिक है तो अग्रिम का आधा भाग तुरंत वापिस करना होगा। यात्रा की समाप्ति से एक महीने के भीतर यात्रा का समायोजन बिल लेखा–एक अनुभाग को प्रस्तुत करना होगा । इसकी अवहेलना पर जी0 पी0 एफ0 एक प्रतिषत ब्याज दर के अतिरिक्त 2 प्रतिषत अधिक दण्डस्वरूप ब्याज देना होगा। यदि समायोजन बिल एक महीने तक न प्रस्तुत किया गया तो इस यात्रा रियायत की हकदारी समाप्त हो जाएगी। उन्हें रसीद/टिकट संख्या व पी0 एन0 आर0 सं0 आदि भी बिल के साथ देना होगा ।
3. अपलोड के0ज0 आ0 बेबसाइट